संख्या–1308 /33–3–2015–22/2015

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2– निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊ: दिनाँक: 16 जून 2015

विषय: प्रदेश के जनपदों में पंचायत उद्योग व अन्य संस्थाओं द्वारा महिलाओं को सस्ते दर पर सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या–249/33–3–2015–22/2015 दिनाँक 23 फरवरी, 2015 द्वारा महिलाओं को सस्ते मूल्य पर सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाने हेतु पंचायत उद्योग तथा इस क्षेत्र में अन्य कार्यशील उद्योगों के द्वारा उत्पादित नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए जा चुके हैं किन्तु अभी तक इस कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी है। इस हेतु प्रदेश के जनपद महोबा एवं बाराबंकी में पंचायत उद्योग के माध्यम से तथा मथुरा में पी0पी0पी0 मॉडल से एक कुटीर उद्योग द्वारा अपेक्षाकृत कम मूल्य (लो–कास्ट) पर सेनेटरी नैपकिन का उत्पादन एवं विपणन का कार्य किया जा रहा है जिसके लिए निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत रिवाल्विंग फण्ड की मद से धनराशि भी उपलब्ध करायी जा चुकी है।

निदेशक (पंचायत)(एस)
17/6/15

2– यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में महिलायें और युवतियाँ अभी भी सेनेटरी नैपकिन का प्रयोग नहीं करतीं, जिसके कारण संक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसका मुख्य कारण जानकारी का अभाव तथा सेनेटरी नैपकिन का महँगा होना भी है।

3– उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य के दृष्टिगत आप अपने जनपद में लो कास्ट सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराने हेतु व्यक्तिगत रूचि लेकर तत्परतापूर्वक कार्यवाही करें जिससे कि ग्रामीण महिलाओं को पुराने रूढ़िवादी बन्धनों और कुरीतियों से मुक्ति का मार्ग मिल सके। इसके लिए जनपदों में सक्रिय पंचायत उद्योगों तथा अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम

से लो–कास्ट एवं गुणवत्तायुक्त सेनेटरी नैपकिन के उत्पादन एवं विपणन की समुचित व्यवस्था करायें, जिसका व्यापक स्तर पर महिलाओं को लाभ मिल सके।

4– इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया महिलाओं तथा किशोरियों को स्वस्थ रखने तथा उन्हें संक्रमण से बचाने के लिए इस कार्यक्रम को और अधिक गति प्रदान किया जाये ताकि प्रदेश की सभी महिलाओं को सस्ते मूल्य पर सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध हो। कृपया उपरिसन्दर्भित शासनादेश दिनाँक 23 फरवरी, 2015 में दिये गये निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन शीर्ष प्राथकिता पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

कृपया इस कार्यकम का समय–समय पर निरन्तर अनुश्रवण कर योजना की प्रगति से शासन को प्रति माह प्रथम सप्ताह में अवगत करायें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनाँक उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा इस संबंध में संचालित कार्यकमों में इसको भी समाहित करने का कष्ट करें।
2– प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– प्रमुख सचिव, लघु उद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन।
5– समस्त मण्डलीय उप निदेशक, पंचायत, उत्तर प्रदेश।
6– समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।